राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का कार्यक्रम तय

जयपुर, 16 सितम्बर। राज्य सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है।

कार्यक्रम के अनुसार 20 सितम्बर तक टेबलेट पी.सी. के लिए स्टोर व्यवस्था, इसके रख रखाव हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर स्टोर रूम चिन्हीकरण किया जायेगा। 25 सितम्बर को प्रत्येक चार्ज कार्यालय का उपखण्ड अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा। 5 अक्टूबर को जनगणना उपरान्त दी जाने वाली रसीद एवं घर पर चस्पा किए जाने वाले स्टीकर प्रगणकों को उपलब्ध कराए जायेंगे तथा टेबलेट पी.सी., डाटा एन्ट्री व टेबलेट पी.सी. ऑपरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

इसी प्रकार 21 सितम्बर से 30 सितम्बर तक मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रगणक एवं सुपरवाइजर्स एवं टेबलेट पी.सी. का चार्ज कार्यालय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

16 सितम्बर को जिला परिषद बैठक, 19 से 23 सितम्बर तक पंचायत समितियों की साधारण बैठक, 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं की बैठक एक से 5 अक्टूबर तक जिला स्टोर पर पंचायती राज एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के लिए बेल द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

एक नवम्बर,2011 से जनगणना कार्य का शुभारंभ किया जायेगा। जनगणना कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसे 5 दिन तक विमुक्त, घुमन्तू, अर्द्ध घुमन्तू एवं आवास हीन परिवारों की जनगणना हेतु विशेष अभियान चलाया जायेगा तथा जनगणना समाप्ति के एक सप्ताह पश्चात सर्वे प्रश्नावली की सूचनाओं के आधार पर ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन किया जायेगा। ड्राफ्ट सूची के प्रकाशित होने के 21 दिन की अवधि तक ड्राफ्ट सूची के विरूद्ध दावे तथा आपत्तियां तथा ड्राफ्ट सूची के प्रकाशित होने के 31वें दिन अन्तिम सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

क्रमांक : 4420/1/2011

देवेन्द्र/अंगिरा/तरूण

Visit our website http://dipr.rajasthan.gov.in for Daily Press Note/ Photo

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011

घुमन्तू तथा आवासहीन परिवारों के लिए विशेष अभियान

जयपुर, 16 सितम्बर। राज्य सरकार ने सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 के तहत घुमन्तू जाति, आवासहीन परिवार एवं इस श्रेणी के अन्य लोगों की सूचना आवश्यक रूप से दर्ज कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री सी.एस. राजन ने बताया कि इसके लिए एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें जिला कलेक्टर को निर्देश दिए है कि वे जिले के घुमन्तू जाति, आवासहीन परिवार एवं इस श्रेणी के अन्य लोगों की सूचना जनगणना कार्य के दौरान आवश्यक रूप से दर्ज करवाएं। इसके अलावा जिले का समस्त जनगणना कार्य पूर्ण होने पर पुनः तीन से पांच दिवस का अभियान चलाया जाए ताकि किन्हीं कारणों से सूचना दर्ज कराने से वंचित रहे परिवारों को सूचना दर्ज कराने का अवसर मिल सके।

उल्लेखनीय है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 भारत सरकार द्वारा जून–2011 से प्रारम्भ कर दी गई है। राज्य में इस जनगणना का कार्य नवम्बर–2011 से प्रारम्भ किया जाएगा।

———

क्रमांक : 4419/1/2011
देवेन्द्र/संजय/तरुण

Visit our website http://dipr.rajasthan.gov.in for Daily Press Note/ Photo

(1) दैनिक नवज्योति दि० 16-09-2011

सामाजिक-आर्थिक व जातिगत जनगणना से होगा

बीपीएल सूची का निर्धारण

- टेबलेट पी.सी. से हाईटेक होगी जनगणना
- जिले में एक नवंबर से शुरू होगा कार्य

नगर प्रतिनिधि

जयपुर, 15 सितंबर। केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ निश्चित व्यक्ति को ही मिले इसके लिए पहली सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना जिले में एक नवम्बर से शुरू की जाएगी। इस जनगणना के आधार पर ही लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर का पता लगाया जाएगा और बीपीएल सूची का निर्धारण किया जाएगा। यह जनगणना टेबलेट पी.सी. के माध्यम से हाईटेक होगी। योजना भवन स्थित आई.टी. भवन सभाकक्ष में गुरुवार को जातिगत जनगणना के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर नवीन महाजन ने बताया कि जिले में लोगों के सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत स्तर का पता लगाने के लिए एक नवंबर से आयोजित होने वाली जनगणना के लिए प्रगणकों, सुपरवाईजर एवं मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहली बार बीपीएल जनगणना के स्थान पर सामाजिक एवं आर्थिक गणना के आधार पर परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अलावा उनके जातिगत स्तर का पता लगाया जा सकेगा। आर्थिक व सामाजिक आधार पर होने वाली जनगणना में एकत्रित सूचनाओं के आधार पर ही बी.पी.एल. परिवारों की सूची तैयार की जाएगी। जनगणना में जाति की सूचना भी एकत्रित की जाएगी जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की भी गणना हो सके। जिला कलेक्टर महाजन ने बताया कि यह जनगणना पेपर लेस होगी एवं समस्त जानकारियां टेबलेट पी.सी. पर एकत्रित की जाएगी। जनगणना के दौरान प्रगणक एवं टेबलेट पी.सी. ऑपरेटर का दल समस्त घरों का दौरा करेगा जिनके पास आवश्यक पहचान पत्र होंगे। जनगणना कार्य पूर्ण होने तक ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा जो कि वार्ड कार्यालय, नगर निकाय एवं भारत व राज्य सरकार की वेबसाईट पर उपलब्ध होगा। बैठक में उन्होंने जिले में समस्त उपखण्ड अधिकारियों को कम्प्यूटर चार्ज कार्यालय स्थापित करने तथा प्रगणक, सुपरवाईजर्स तथा मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त करने के निर्देश दिए। [illegible] जिला कलेक्टर महाजन के अलावा सभी उपखण्ड अधिकारी एवं जनगणना से जुड़े से अधिकारियों ने भाग लिया।

(2) दैनिक नवज्योति

जनगणना के लिए दिशा निर्देश जारी

नवज्योति ब्यूरो

जयपुर, 15 सितम्बर। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना से संबंधित जिला कलेक्टर स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में सरकार ने गुरुवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

दिशा निर्देशों के अनुसार जनगणना 2011 के आधार पर हर परिवार को रैंक प्रदान किया जाएगा, जिसमें निर्धारित प्रक्रिया से बीपीएल परिवारों का चयन किया जाएगा। जनगणना कम्प्यूटराइज्ड होगी और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों का सर्वे किया जाएगा। जनगणना का काम तहसील स्तर पर चार्ज सेन्टर के माध्यम से करवाया जाएगा। जिला कलेक्टर जिला स्तरीय सेल बनाकर कार्य कराएंगे। जनगणना में संक्षिप्त मकान सूची उपलब्ध करवाने, हर जिले से दो मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर और प्रति चार्ज कार्यालय में 3 मास्टर ट्रेनरों का चिन्हीकरण और नियुक्ति 15 सितम्बर तक करनी होगी। इनका चयन वरिष्ठ अध्यापक, प्रधानाचार्य, कॉलेज, व्याख्याता आदि में से किया जाएगा तथा प्राइमरी शिक्षकों को इस कार्य में नहीं लिया जाएगा। साथ ही प्रगणकों और सुपरवाइजरों को समयबद्ध प्रशिक्षण कलेण्डर तैयार 31 अक्टूबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। जारी परिपत्र के अनुसार प्रगणना के दौरान पारदर्शिता बरती जाएगी। क्षेत्रों के सभी विकास अधिकारी और तहसीलदार 0.50 प्रतिशत परिवारों का निरीक्षण करेंगे तथा सीईओ और एसीईओ जिला परिषद हर ब्लॉक के 25-25 परिवारों का निरीक्षण किया जाएगा। जिला कलेक्टर जिले के 100 परिवारों का रेण्डम बेसिक निरीक्षण करेंगे। आदेशों के अनुसार हर जिला कलेक्टर से यह अपेक्षा की गई है कि वे जिले के घुमन्तु जाति, आवासहीन परिवार और इस श्रेणी के अन्य लोगों की सूचना जनगणना कार्य के दौरान जरूरी रूप से दर्ज करेंगे। इसके अलावा एहतियात के तौर पर जिले की समस्त जनगणना कार्य पूरा होने पर पुनः तीन से पांच दिवस का अभियान चलाया जाएगा।

अधिकारी नियुक्त: राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के लिए जिला कलेक्टर को प्रमुख सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जाति अधिकारी जनगणना 2011 नियुक्त किया है। इसके अलावा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट समकक्ष अधिकारी को जिला सामाजिक आर्थिक अधिकारी एवं जाति आधारित जनगणना अधिकारी 2011, जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को अतिरिक्त सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी को सहायक सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 अधिकारी तथा तहसीलदार को चार्ज अधिकारी, नियुक्त किया है।

(3) महका भारत दि० 16-09-2011

सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के लिए दिशा निर्देश

जयपुर, 15 सितम्बर (कासं)। राज्य सरकार ने सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 से संबंधित जिला कलेक्टर स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के आधार पर प्रत्येक परिवार को रैंक प्रदान किया जाएगा, जिसमें निर्धारित प्रक्रिया से बी.पी.एल. परिवारों का चयन किया जाएगा। जनगणना पूर्णतया पेपरलैस तथा कम्प्यूटराइज्ड होगी तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले समस्त परिवारों का सर्वे किया जाएगा। जनगणना में सर्वे का कार्य बेल द्वारा उपलब्ध हैण्ड हैल्ड डिवाइस के माध्यम से करवाया जाएगा। बैल द्वारा अपने वैण्डर्स एवं ऑपरेटर तथा तकनीशियन नियुक्त कर इनका संचालन एवं रख रखाव सुनिश्चित किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्एक तहसील स्तर पर स्थापित होने वाले चार्ज सेन्टर के जरिए करवाया जाएगा। एस.ई.सी.सी. के कार्यों के लिए जिला कलेक्टर प्रमुख सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

परिपत्र के अनुसार प्रगणना प्रांरभ से पूर्व तैयारी के लिए जिला कलेक्टर जिला स्तरीय सेल की स्थापना कर विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर उनको उनकी विशिष्ट भूमिका एवं जिले की जिम्मेदारियों से अवगत कराएंगे तथा रसीद एवं स्टीकर का मुद्रण करवा कर उपलब्ध करवाएंगे।

जनगणना-2011 कार्य बेल द्वारा उपलब्ध कराए गए टेबलेट पी.सी. के माध्यम से सम्पादित किया जाएगा। संक्षिप्त मकान सूची उपलब्ध करवाना एवं प्रत्एक जिले से 2 मास्टर ईनर फेसिलिटेटर एवं प्रति चार्ज कार्यालय में 3 मास्टर ईनरों का चिन्हीकरण एवं नियुक्ति 15 सितम्बर,2011 तक करनी होगी। इनका चयन वरिष्ठ अध्यापक, प्रधानाचार्य, महाविद्यालय व्याख्याता आदि में से किया जाएगा तथा प्राईमरी शिक्षकों को इस कार्य में नहीं लिया जाएगा। परिपत्र के तहत प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों का समयबद्ध प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार 31 अक्टूबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार टेबलेट पी.सी. ऑपरेटर्स को भी सघन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के विषय में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों को जानकारी देने के लिए पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों की बैठक सितम्बर के तृतीय सप्ताह में, पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक सितम्बर माह के चतुर्थ सप्ताह में आयोजित की जाएगी। भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बी.ई.एल.) द्वारा नियुक्त वैण्डर जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर आधे दिवस का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे, जिसमें जनगणना कार्य की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

जिला कलेक्टर की निगरानी में चार्ज अधिकारी द्वारा यदि किसी संक्षिप्त मकान सूची में कोई हाउस होल्डर छूट गया हो तो लिस्ट को अद्यतन करेंगे। प्रगणक प्रत्एक घर पर जाएंगे तथा घर बन्द मिलने अथवा परिवार के सदस्यों के नहीं मिलने पर ऐसे भवनों की पुनः विजिट करेंगे। सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी घरों की विजिट अनिवार्य रूप से हो गई है। यदि ब्लॉक का प्रगणन कार्य पूर्ण होने पर भी ऐसे हाउस होल्डर बच जाते हैं तो सुपरवाइजर इसकी सूचना चार्ज अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रगणना के दौरान पारदर्शिता बरती जाएगी। प्रगणना के दौरान उस क्षेत्र के समस्त विकास अधिकारी एवं तहसीलदारों द्वारा 0.50 प्रतिशत परिवारों का निरीक्षण किया जाएगा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रत्एक ब्लॉक के 25-25 परिवारों का निरीक्षण किया जाएगा। जिला कलेक्टर जिले के 100 परिवारों का रेण्डम बेसिक निरीक्षण करेंगे। परिपत्र के अनुसार चार्ज अधिकारी द्वारा प्रगणक से कार्य पूर्णता पत्र प्राप्त करेंगे।

(7) पंजाब केसरी दि० 16-09-2011

कार्यों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना

जयपुर, (कासं): राज्य सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना-2011 से संबंधित जिला कलैक्टर स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जनगणना-2011 के आधार पर प्रत्येक परिवार को रैंक प्रदान किया जाएगा, जिसमें निर्धारित प्रक्रिया से बी.पी.एल. परिवारों का चयन किया जाएगा। जनगणना पूर्णतया पेपरलैस और कम्प्यूटराइज्ड होगी। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले समस्त परिवारों का सर्वे किया जाएगा। जनगणना में सर्वे का कार्य बेल द्वारा उपलब्ध हैण्ड हैल्ड डिवाइस के माध्यम से करवाया जाएगा। जनगणना का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक तहसील स्तर पर स्थापित होने वाले चार्ज सेन्टर के जरिए करवाया जाएगा। एस.ई.सी.सी. के कार्यों के लिए जिला कलैक्टर प्रमुख सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

परिपत्र के अनुसार प्रगणना प्रारंभ से पूर्व तैयारी हेतु जिला कलैक्टर जिला स्तरीय सैल की स्थापना कर विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर उनको उनकी विशिष्ट भूमिका, जिले की जिम्मेदारियों से अवगत कराएंगे। रसीद एवं स्टीकर का मुद्रण करवा कर उपलब्ध करवाएंगे। संक्षिप्त मकान सूची उपलब्ध करवाना, प्रत्येक जिले से 2 मास्टर ईनर फेसिलिटेटर, प्रति चार्ज कार्यालय में 3 मास्टर ईनरों का चिन्हीकरण और नियुक्ति 15 सितम्बर तक करनी होगी। इनका चयन वरिष्ठ अध्यापक, प्रधानाचार्य, महाविद्यालय व्याख्याता आदि में से किया जाएगा और प्राइमरी शिक्षकों को इस कार्य में नहीं लिया जाएगा। परिपत्र के तहत प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों का समयबद्ध प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार 31 अक्टूबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार टेबलेट पी.सी. ऑपरेटर्स को भी सघन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिला कलैक्टर की निगरानी में चार्ज अधिकारी से यदि किसी संक्षिप्त मकान सूची में कोई हाउस होल्डर छूट गया हो तो लिस्ट को अद्यतन करेंगे। प्रगणक प्रत्येक घर पर जाएंगे और घर बन्द मिलने अथवा परिवार के सदस्यों के नहीं मिलने पर ऐसे भवनों की पुनः विजिट करेंगे। सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी घरों की विजिट अनिवार्य रूप से हो गई है। यदि ब्लॉक का प्रगणन कार्य पूर्ण होने पर भी ऐसे हाउस होल्डर बच जाते हैं तो सुपरवाइजर इसकी सूचना चार्ज अधिकारी और जिला कलैक्टर को देना सुनिश्चित करेंगे।

अधिकारियों की नियुक्ति: राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर जनगणना के लिए जिला कलैक्टर को प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना अधिकारी नियुक्त किया है। अधिसूचना के तहत अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, समकक्ष अधिकारी को जिला सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना अधिकारी, जिला सांख्यिकी अधिकारी और जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को अतिरिक्त सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी को सहायक सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना अधिकारी तथा तहसीलदार को चार्ज अधिकारी, सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना अधिकारी नियुक्त किया है।